48

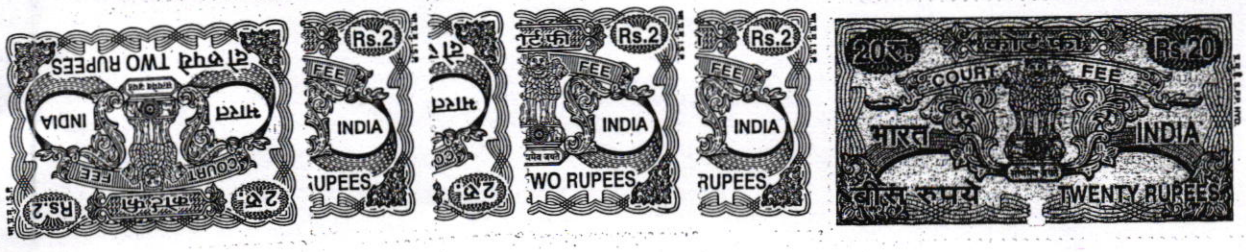

अप 50

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ~~महोदय~~ ग्वालियर, जिला– ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण कमॉक– /2018

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2018/0841

महिला चत्तूवाई पत्नी कालीचरण बुनकर निवासी ग्राम सिमराखुर्द तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

......पुनरीक्षणकर्ता

वनाम

1. महिला मधू वेवा करन्जू चमार
2. भगवानदास पुत्र करन्जू चमार
3. गुटया पुत्र करन्जू चमार
4. हरचरन पुत्र करन्जू चमार
5. जवाहर पुत्र करन्जू चमार
   समस्त निवासी ग्राम सिमराखुर्द तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0
6. श्रीमति भुमानीवाई पुत्री करन्जू चमार निवासी ग्राम पठा–ढ़करवारा, तहसील मऊरानीपुर जिला झॉसी उ0 प्र0
7. मैदावाई पत्नी प्यारेलाल अहिरवार निवासी विद्युत मण्डल के पाल पलेरा, तहसील–पलेरा, जिला टीकमगढ़ म0 प्र0 ......अनावेदकगण

श्री ...... दि. 1-3-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 21-2-18 ......।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, ... 1-2-18

Rosaiya 1-2-18

राजस्व पुनरीक्षण आवेदन अंर्तगत धारा–50 म.प्र.भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त सागर संभाग सागर राजस्व प्र0क0–1059 अ–3 वर्ष 2007–2008 आदेश दिनॉक 27–12–2017 से व्यथित होकर।

महोदय,

प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर निम्न प्रकार है ::–

यह कि प्रश्नगत कृषि भूमि अनावेदिका कमॉक 7 के हक कब्जे की कृषि भूमि रहीं है। उक्त कृषि भूमि को पुनरीक्षणकर्ता के पति ने उक्त अनावेदिका से कृय किया था। तथा उक्त कृय अनुसार ही कृय की गई कृषिभूमि पर हक आंधिपत्य किया था। उक्त कृषिभूमि में प्रश्नगत खसरा कमॉक 1/5क रकवा 0.607 हैक्0, 1/5/ख रकवा 0.607 हैक्0, खसरा कमॉक 1/5/ग रकवा 0.372 हैक्0 स्थित ग्राम सिमराखुर्द तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0 की भूमि में नक्शा सीट अनुसार एवं रकवा अनुसार तरमीम न होने से उक्त अनावेदिका द्वारा विकृय करने के पूर्व उक्त अनावेदक क0 7 ने त्रुटिपूर्ण तरमीम सुधारने हेतु अधिनस्थ न्यायालय तहसील –दार पलेरा को तरमीम सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त सुधार कार्यवाही में मौके

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/841

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार पलेरा के समक्ष खसरा नं. 1/5 क, 1/5 ख एवं 1/5 ग रकवा क्रमश: 0.607, 0.607 एवं 0.372 हे. भूमि तरमीम कराने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर विधिवत कार्यवाही करते हुए तहसीलदार द्वारा सरहदी काश्तकारों को आहुत किया करते हुए आर.आई व पटवारी प्रतिवेदन लिए जाकर विधिवत सीमांकन आदेश पारित किया, जिसकी पुष्टि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने आदेश में की है। प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। जिनमें हस्तक्षेप किये जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई आधार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	